

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत

वाद सं०-एम० 52/2022

मोसमात तरणी देवीबनाम

खंजन महतो

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3

25-04-2022




प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी सोनाहातु के अप्राथमिकी संख्या- 04/22 दिनांक 22/03/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमीन बँटवारा का कारण है।

जिससे संभावना है कि परिशांति गंम होगी या लोक परिशांति शुद्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति गंम हो जाएगी या लोक परिशांति शुद्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रू० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 28-05-2022 को उपस्थापित करें।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।

आदेश की संख्या/दिनांक Order No./Date	आदेश एवं न्यायाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate	न्यायाधीश Magistrate
<u>26-12-2022</u>	अभिलेख उपस्थापित/उभय पक्ष उपस्थित/प्रथम पक्ष को दिनांक 09-01-2023 को गनाही रखने का अन्तिम मौका।	 कार्य. दुष्ठा. कुण्ड।
<u>09-01-2023</u>	उभय पक्ष हाजरी/विद्वान अधिवक्तागण न्यायिक कार्यों से दूर (हड़ताल पर)। दिनांक 30-01-2023 को रखें।	ह०-
<u>30-01-2023</u>	अभिलेख उपस्थापित/उभय पक्ष उपस्थित/दिनांक 06-02-2023 को रखें।	 कार्य. दुष्ठा. कुण्ड।
<u>06-02-2023</u>	अभिलेख उपस्थापित/उभय पक्ष उपस्थित/द.प्र. सं० की धारा-116(06) के अनुसार धारा-107 में वाद की अवधि दरः(06) माह की होती है। इस वाद में भी वैधानिक समय सीमा दरः(06) माह की अवधि पूर्ण हो चुका है, अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है/उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोनों पक्षों में बातचीत करने तथा संबंधित शाना द्वारा भी निर्धारित तिथि तक में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त रहने की दशा में वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। इस संबंध में संबंधित को भी सूचित करें।	 कार्य. दुष्ठा. कुण्ड।